



हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

आवेदन-पत्र भरने के लिए मुख्य मार्गदर्शन

1. क्र.सं.1 सम्पत्ति श्रेणी जिस श्रेणी के भवन हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने (✓) भरें
श्रेणी-1 (MIG-1)
श्रेणी-2 (MIG-2)
श्रेणी-3 (LMIG)
2. क्र.सं.9 आयु आवेदक अपनी आयु पूर्णांक में ही भरें। जैसे 45 वर्ष।
3. क्र.सं.10 लिंग पुरुष आवेदक M भरें।
महिला आवेदक F भरें।
4. क्र.सं.11 वैवाहिक स्थिति विवाहित आवेदक M भरें।
अविवाहित आवेदक S भरें।
विधवा/विधुर आवेदक W भरें।
अन्य आवेदक (कम्पनी आदि) N भरें।
5. क्र.सं.12 कोटा कोड (1) सामान्य श्रेणी के आवेदक 01 भरें।
(2) विवरण पुस्तिका में दी गयी तालिका के क्रम संख्या 1 से 9 तक आरक्षित श्रेणी के आवेदक तालिका के कॉलम 3 के अनुसार कोटा कोड भरें।
6. क्र.सं.13 विकलांग कोड विकलांग आवेदक 15 भरें। शेष आवेदक NA भरें।
7. क्र.सं.14 वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ आवेदक 16 भरें। शेष आवेदक NA भरें।
8. क्र.सं.15 पंजीकरण धनराशि आवेदन-पत्र के साथ जमा की जाने वाली पंजीकरण धनराशि भरें।

अन्य निर्देश

1. शेष क्रम संख्या स्वतः स्पष्ट है।
2. संलग्नकों पर आवेदन-पत्र संख्या अंकित करें।
3. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रमाण-पत्र, बैंक/राजपत्रित/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए।
4. आवेदन-पत्र के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें।
4. जामा किये जाने वाले बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के पृष्ठ भाग पर अपना नाम, सम्पत्ति की श्रेणी एवं आवेदन-पत्र संख्या अवश्य अंकित करें।
5. जो लागू न हो उसे काट दें।
6. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जिसे आवेदक द्वारा रु0 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत कराकर जिसे विशेष अटोर्नी अधिकार दिया गया हो, किया जाना चाहिए।
7. आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में कोड आदि 1,2,3,4,5,6 आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरें हुए कोड नम्बर को ही अभिलेखों में लिया जायेगा।
8. आवेदन-पत्र अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में ही भरा जाना चाहिए तथा उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं।



हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

9. विभिन्न मदों के कोड नं० स्कीम ब्रोशर में दिये गये हैं।
10. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
11. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
जैसे -

S	O	H	A	N	L	A	L
---	---	---	---	---	---	---	---

सो	ह	न	ला	ल
----	---	---	----	---

12. आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र संख्या, योजना कोड अवश्य लिखना चाहिए।
13. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का पहचान-पत्र/निवास प्रमाण-पत्र सहित हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
14. जैसे कि धारा 15 में विवरण दिया गया है कुछ श्रेणी के आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गयी है। अदावेदक अपनी श्रेणी को कोटा भरें। यदि आप एक अधिक आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित श्रेणी में आते हैं तो केवल कोड लिखें जिस श्रेणी में रहना चाहते हैं। कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण-पत्र संलग्न करें अन्यथा आपका आवेदन-पत्र सामान्य श्रेणी में समझा जायेगा। सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कोटा कोड के स्थान पर 01 भरना चाहिए।
 - क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं स्वतन्त्रता सेनानी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए।
 - ख) उत्तर-प्रदेश विकास प्राधिकरण, उ०प्र० नगर निगम, जल संस्थान एवं आवास विकास परिषद के कर्मचारी को अपने आवेदन-पत्रों के साथ अपने नियोजक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र लगाना चाहिए।
 - ग) एम०पी०/एम०एल०ए०/एम०एल०सी० श्रेणी के आवेदकों को अपने शासकीय पत्र शीर्ष पर एक प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए एवं "सार्वजनिक सेवा के कर्मचारियों एवं डिफेंस कर्मचारियों जो कि 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं", श्रेणी के अधीन आने वाले आवेदकों को अपने नियोजक का सेवा प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए।
15. योजना की अन्तिम तिथि के बाद आवेदन-पत्र के पते में परिवर्तन के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।